हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग ।

संख्याः एस0टी0ई0–एफ (4)–2/2008 तारीख शिमला–2, 13 अगस्त, 2009

अधिसूचना

जीव अनाशित पदार्थो से निर्मित प्लास्टिक कैरी बैगज और ए [illegible] बार में उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक की प्रयोज्य वस्तुओं जैसे कप, गिलास व [illegible] के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 15–8–2009 से प्रभावी होने वाली समसंख्यक अधिसूचना तारीख 7–7–2009 को जारी की गई है।

और हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक संगठनों, व्यापार मण्डलों [illegible] ने प्रतिबन्ध लागू करने से पूर्व, समय सीमा में विस्तार करने के लिए प्रतिवेदन दिए हैं, त [illegible] वे अपने विद्यमान स्टॉक का निपटारा कर सके ।

अतः पूर्वोक्त तथ्य के दृष्टिगत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, [illegible]संख्यक अधिसूचना तारीख 7–7–2009 में आंशिक उपांतरण करते हुए यह अधिसू[illegible] करती हैं कि पॉलीथीन/प्लास्टिक कैरी बैगज और जीव अनाशित कचरे के बिखर[illegible] पर घोषित प्रतिबन्ध 15 अगस्त, 2009 के स्थान पर 2 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होगा। तथापि [illegible]योज्य कप, प्लेट व गिलास के प्रयोग पर प्रतिबन्ध का प्रवर्तन तत्समय के लिये आस्थगित किय[illegible] गया है।

इसके अतिरिक्त यह भी अधिसूचित किया जाता है कि [illegible]-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध और हस्तन) नियम, 1998 के अधीन यथा परिभाषित जीव–चिकि[illegible] संस्थानों को जीव चिकित्सा के प्रबन्धन के लिए प्लास्टिक बैगों का उपयोग करने हेतु अनुज्ञा [illegible] किया जाता है।

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि तारीख 7–7 2009 की समसंख्यक अधिसूचना में–

i) अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ के पैरा–1 में आए शब्दों "Himachal Pradesh Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995" के स्थान पर "Himachal Pradesh Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995" रखे जाएंगे ।

ii) पैरा–6 में "दुकानदारों, विकेताओं, थोक व्यापारियों, फुटकर विकेताओं, फेरी वालों, रेहड़ी वालों आदि सहित कोई भी [illegible] शब्दों के स्थान पर "दुकानदार, विकेता, थोक व्यापारी, फुटकर [illegible] फेरी वाला, रेहडी वाला आदि" शब्द रखे जाएंगे।

iii) पैरा–9 के कम संख्या '(क)' के अधीन व[illegible]त विद्यमान शब्द, "एवं प्लास्टिक वस्तुओं" का लोप किया जाएगा ।

iv) पैरा–9 के कम संख्या (ख) और (ग) के अ ‍ र्णित शब्द, "प्लास्टिक कचरे" के स्थान पर शब्द "जीव–अनाशित ‍ चरे" शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वा

(सरोजिनी गंग‍ ‍ ‍ हुर)
प्रधान सचिव (पर्यावरण, विज्ञा एवं प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश स ‍ कार ।

पृ0 संख्याः यथा उपरोक्त । तारीख शिमला–2, 3 अगस्त, 2009

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:

1 सचिव, राज्यपाल, हि0 प्र0, शिमला–2 ।
2 प्रधान निजी सचिव, मुख्य मन्त्री, हि0 प्र0 शिमला –2 ।
3 समस्त निजी सचिव, मा0 मन्त्री, हि0 प्र0, शिमला –2 ।
4 निजी सचिव, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार, शिमला –2 ।
5 समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0 प्र0 सरकार ।
6 समस्त विभागाध्यक्ष, हि0 प्र0 ।
7 समस्त जिलाधीश, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उपरोक्त अधिसूच ‍ ा की प्रति उनके अधीन समस्त उप–मण्डलाधिकारियों (ना0), तहसीलदारों व नायब–तहसी ‍ लदारों को वितरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को अवगत करवाएं ।
8 आयुक्त, आबकारी एवं कराधान, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उप ‍ क्त अधिसूचना की प्रति उनके अधीन समस्त उप–सहायक आबकारी एवं कराधान अधि ‍ ारियो को वितरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को भी अवगत करवाएं
9 निदेशक, शहरी विकास विभाग, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उपरो ‍ त अधिसूचना की प्रति उनके अधीन नगर परिषद्/नगर पंचायत के समस्त सचिवों को वि ‍ तरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को अवगत करवाएं।
10 निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उ ‍ रोक्त अधिसूचना की प्रति उनके अधीन समस्त नियन्त्रकों को वितरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को अवगत करवाएं।
11 प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन, हि0 प्र0 तथा उनसे आग्रह है कि उपरोक्त अधिसूचना की प्रति उनके अधीन समस्त वन परिक्षेत्राधिकारियों तथा वन उप–परिक्षेत्राधिकारियों को वितरित करने की कृपा करें तथा इस बारे इस विभाग को अवगत करवाएं।
12 समस्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, निगम/बोर्ड, हि0 प्र0 ।
13 निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नारायन विला, शिमला –2 ।
14 सदस्य सचिव, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अर्धो–बीसीएस, शिमला –9 ।
15 सदस्य सचिव, हि0 प्र0 राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, कसुम्पटी, शिमला–9
16 नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन–सामग्री विभाग, हि0 प्र0, शिमला –4
17 गार्ड नस्ति ।

संयुक्त सचिव (पर्यावरण, वि ‍ ‍ न एवं प्रौद्योगिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।